



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963GOI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर: जिला-श्रीगंगानगर(राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:-बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

पत्राक:के.रा.फा./जैत./कृषि/10-05/2020-21

दिनांक: 24.04.2021

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय राज्य फार्म, जैतसर जिला- श्रीगंगानगर(राज.) में वर्ष 2020-21 में उत्पादित फसलों की कटाई, गहाई एवं सिल्ला चुगाई तथा नीरा उठाने एवं तूड़ी बनाने के पश्चात खाली हुए चकों / खेतों एवं अन्य समय समय पर खाली होने वाले क्षेत्रों में भेड़-बकरी तथा पशु आदि चराने के लिए दिनांक: 03.05.2021 को अपराह्न 2.00 बजे तक खंडवार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 03.05.2021 के दोपहर 12:30 तक किया जाएगा। इच्छुक निविदादाता को निविदा में भाग लेने के लिए अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / NEFT/ RTGS रुपये 50,000/- (अखरे रुपये पच्चास हजार मात्र) प्रति खण्ड के हिसाब से, जोकि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में, भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में जमा/संलग्न करना होगा (फार्म का खाता नंबर 33963396672, IFSC कोड नम्बर SBIN0008251)। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपराह्न 2.30 बजे निविदादाता के समक्ष खोला जायेगा। असफल निविदादाता की धरोहर राशि बाद में लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा संबंधी नियम व शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे से 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अथवा निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से प्राप्त की जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र कृषि कार्यालय से प्राप्त करने के लिए रुपये 236/- (Tender fee+ 18% GST) का डिमाण्ड-ड्राफ्ट, RTGS/NEFT के माध्यम से फार्म के बैंक जमा की रसीद प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक का खाता का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

प्रबंधक(उत्पादन)
कृते फार्म प्रमुख



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963GOI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर: जिला-श्रीगंगानगर(राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:-बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

पत्राक:के.रा.फा./जैत./कृषि/10-05/2020-21/

दिनांक: 24.04.2021

अल्पकालीन निविदा सूचना

वर्ष-2020-21 की फसलों की कटाई / सिल्ला चुगाई व नीरा उठाने के पश्चात व अन्य खाली क्षेत्रों में व समय समय पर खाली होने वाले क्षेत्रों में पशुओं को चराई करने बाबत निम्न दर प्रस्तुत भर

रहा हूँ जो कि फार्म में जमा करूँगा।

खण्ड नं.	कुल राशि रुपयों में
खण्ड नं.-1	
खण्ड नं.-2	
खण्ड नं.-3	

जमा राशि का विवरण:-

डी.डी. नं. /रसीद नं.	
----------------------	--

निविदादाता की बैंक खाते का विवरण:-

खाताधारक का नाम	
बैंक का नाम व स्थान	
खाता संख्या	
आई.एफ.एस.सी. कोड	
आधार कार्ड नं.	
पेन कार्ड नं.	

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम:-

पिता का नाम:-

गांव व पोस्ट:-

जिला:-

मो.नं.-

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

पशु चराई की नियम व शर्तें

1. ठेका लेने वाले को प्रत्येक खंड के लिए धरोहर राशि रुपये 50,000/- (पच्चास हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट /NEFT/RTGS प्रति खंड के अनुसार जमा करवाना होगा जो कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के नाम से बाजूवाला में देय हो व असफल बोलीदाता को धरोहर राशि सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के पश्चात वापिस कर दी जायेगी एवं सफल बोलीदाता की धरोहर राशि चराई का कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने के बाद लौटा दी जायेगी एवं जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।
2. सफल निविदादाता के निविदा स्वीकृत होने पर निविदा की कुल राशि का 25 प्रतिशत राशि दो दिन में जमा करवानी होगी, शेष 75 प्रतिशत राशि अगले सात दिनों के अंदर जमा करानी होंगी। यदि इस अवधि में शेष राशि जमा नहीं हुई तो इसके अतिरिक्त केवल सात दिन तक ही 25 प्रतिशत दर से ब्याज लिया जायेगा, तत्पश्चात भी शेष राशि जमा नहीं होती है तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर दिया जायेगा।
3. ठेका स्वीकृत होने के बाद चराई की अवधि 1 माह तक रहेगी। जहाँ खाली एरिया हो केवल वही चराना है। चराई का समय सुबह 6.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक का होगा। बीजाई करने वाले एरिया में तुरन्त पशु हटाने होंगे।
4. तुड़ी बनाने / सिल्ला चुगाई करने व नीरा उठाने के बाद खाली खेतों में ही पशु चराने हेतु क्षेत्र दिया जायेगा। यदि बिना चुगाई (सिल्ला चुगाई) किए फार्म क्षेत्र में पशु चराते पाये गये तो धरोहर राशि में से नुकसान की भरपाई की जायेगी तथा ठेका भी रद्द कर दिया जायेगा। फसल वाला क्षेत्र जैसे-जैसे खाली होगा, चराई हेतु दिया जायेगा।
5. चराई का कार्य खण्ड प्रभारी / चक प्रभारी के निर्देशानुसार ही करना होगा। तथा कार्य आदेश के अनुसार ही अनुमति वाले क्षेत्रों में ही चराई का कार्य करवाना होगा। प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराई करते पाये जाने पर ठेका रद्द कर दिया जाएगा।
6. पशु/ भेड़-बकरी चराने के लिए साथ आने वाले व्यक्ति फार्म के किसी कर्मचारी, मजदूर के साथ दुर्व्यवहार या झगड़ा नहीं करेगा, ऐसा करने पर ठेका रद्द कर दिया जायेगा। फार्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बल्लम, भाला, बंदूक व पिस्तोल आदि की अनुमति नहीं होगी।
7. निविदादाता ठेके को अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का जान-माल का नुकसान होता है, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
8. निविदादाता ठेके की अवधि के दौरान शिकार करने की सख्त मनाही है। ऐसा करने पर ठेका रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
9. पशुओं व पशु चराने वालों द्वारा खालों, नहर के पानी को क्षति नहीं पहुंचायेगा। ऐसा होने पर ठेका रद्द कर, धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. ठेकेदार को पशु चराने वालों के नाम व पते फार्म में जमा करवाने होंगे।
11. ठेकेदार के पशुओं अथवा चरवाहों द्वारा फार्म में किसी प्रकार की बिजाई एवं अन्य चल अथवा अचल सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचाने पर उसके हर्जाने की राशि ठेकेदार से भरपाई की जावेगी।
12. ठेकेदार को पशुओं की चराई के दौरान नए रोपित/किसी भी प्रकार के पौधों का विशेष ध्यान रखना है अगर ठेकेदार के पशुओं/भेड़-बकरियों द्वारा नये लगाये गये पौधों को नुकसान पहुंचाया गया तो पौधों की कीमत रोपित पर आई खर्च की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी, तथा फार्म सम्पत्ति जैसे खेत में पडे अनाज, मशीनरी (पीवोट, स्प्रेकलर, ट्यूबवैल) इत्यादी के नुकसान किये जाने पर उसकी भरपायी संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। संबंधित ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
13. ठेकेदार प्रत्येक खंड में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पशुओं द्वारा कराई गई जबरन या चोरी से चराई को रोकने का स्वयं जिम्मेवार होगा, इसके लिए फार्म की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी एवं किसी विवाद के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा। ठेके की निर्धारित तिथि के समाप्त होने के उपरांत चराई

करवाने, प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराई करवाने पर, किसी भी फार्म प्रक्षेत्र पर जबरन चराई करते पाये जाने पर धरोहर राशि जप्त कर ली जाएगी, इसके साथ-साथ उचित कार्यवाही भी की जाएगी।

14. चराई के लिए कृषि अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जायेगा।
15. फार्म के किसी अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, चक प्रभारी व कर्मचारी के मांगने पर चराई करने वाले को कृषि कार्यालय से जारी आदेश की प्रति दिखानी होगी। बिना आदेश के पशु चराई को अवैध माना जायेगा, जिसके लिए उसके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जायेगी।
16. जिस प्रक्षेत्र में जुताई व बुवाई की जरूरत होगी, उस खेत की चराई की पर्ची रद्द कर दी जायेगी। क्षेत्र को जोतने से पूर्व दो दिन पहले बता दिया जायेगा।
17. चराई बिना कारण बताये निदेशक फार्म द्वारा रद्द की जा सकती है। चराई का ठेका उसी व्यक्ति को दिया जायेगा जिसका चाल चलन सही व नियम की काली सूची में न हो, काली सूची वाले व्यक्ति अथवा परिवारिक सदस्य(पत्नी व पुत्र) को भी ठेका नहीं दिया जायेगा।
18. यदि चराई पर दिये प्रक्षेत्र फसल की बुवाई व जुताई के लिए उसमें फार्म द्वारा पानी भरवा दिया जाता है तो उसके बदले में न तो दूसरा क्षेत्र चराई के लिए दिया जायेगा और न ही कोई भुगतान देय होगा तथा इस पर निविदादाता की किसी भी मांग / आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
19. वर्ष 2020-21 की फसलों की कटाई के उपरांत तूड़ी / भूसा बनाने / उठाने एवं सिल्ला चुगाई के बाद ही पशु चराने की अनुमति दी जायेगी।
20. इस ठेके में यदि कोई टैक्स लगता है तो उसे ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से जारी पेन नं. की प्रति जमा करवाना अनिवार्य है।
21. ठेकेदार को रुपये 100/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
22. सफल निविदादाता द्वारा एक हलफनामा जो कि नोटेरी द्वारा तस्दीक किया गया हो। इस आशय का प्रस्तुत करना होगा जिसमें वर्णित हो कि उक्त ठेकेदार को फार्म अथवा अन्य संस्था द्वारा काली सूची अथवा अवांछित सूची में जापित नहीं किया गया हो।
23. **ARBITRATION**

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

उपरोक्त सभी शर्तें क्र.सं. 1 से 23 तक मैंने पढ़ ली, सून ली मुझे सभी शर्तें मंजूर हैं। मैं निर्धारित नियम शर्तों के अनुसार ही कार्य करूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर